

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/208659/CHK/CHITRAKOOT/350/CFO
दिनांक: 14-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST RITA ENGLISH MEDIUM SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **506, RAILWAY STATION TO JARRI FATAK, CHITRAKOOT** तहसील - **MANIKPUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ST RITA ENGLISH MEDIUM SCHOOL	2	0	7.20 mt.

तथा प्लॉट एरिया **1834.97 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST RITA ENGLISH MEDIUM SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **21-07-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VARGHESE SINDHU** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **21-07-2026** से **20-07-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के नियम 45(04) के अन्तर्गत भवन स्वामी/अध्यासी प्रत्येक वर्ष जनवरी और माह जुलाई में भवन/परिसर में अग्नि से बचाव और जीवन सुरक्षा उपायों के रख.रखाव के सम्बन्ध में प्रपत्र-क-8 में अधिनियम-2022 के धारा-26 में यथाविनिर्दिष्ट भलीभांति मरम्मत व अच्छी स्थिति में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा की स्थिति में निर्गत प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
नोट: आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र 02 सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय उपलब्ध करायेगा अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
YADUNATH SINGH

8918BC62E34408427FC29F3F3578DA77BF248074

21-07-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : **21-07-2026**
स्थान : **CHITRAKOOT**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.